

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं.प्रा.पत्र / 25 / 2018

दर्ज दिनांक:—08.05.2018

1. गम्भीरसिंह पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. रूपसिंह

पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

दीपक शर्मा

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—09.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत / कैम्प कोर्ट खैमरा पर पेश। मूल दावा प्राथमिक डिक्री हो चुका है। अतः उभयपक्षकारान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस कदर पाबंद किया जाता है कि वे मूल दावा के अन्तिम डिक्री होने तक वाद ग्रस्त आराजी का मौका व राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाए रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दा.द.हो। यह आदेश कुरा रिपोर्ट बनाते समय प्रभावी नहीं होगा।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

Web Copy - Not Official